न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद जिला कोटा (राज0)

मि0न0 70 / 2025 | तारीख दायरा 11.06.2025 | तारीख फैसला 7/11/25

पीठासीन अधिकारी–दीपक महावर (आर.ए.एस.)

उनवान

1–नरेश सक्सेना आत्मज कमल कुमार सक्सेना आयु 51 वर्ष जाति कायस्थ निवासी डडवाडा कोटा हाल निवास म० न० बी–339 तलवडी वादी कोटा जिला कोटा

(वादीगण)

बनाम

1–कमल कुमार पुत्र दया शंकर जाति कायस्थ नि0 म०न० बी–339 तलवंडी जिला कोटा
2–अजय सक्सेना पुत्र दया शंकर
3–स्नेहलता पुत्री दया शंकर
4–सरोज पुत्री दया शंकर
5–सुषमा पुत्री दया शंकर
6–नीना पुत्री दया शंकर
7–हेमा पुत्री दया शंकर
जाति कायस्थ निवासीगण मकान नं0 1108 डडवाडा कोटा जकंशन जिला कोटा
8–अनिल सक्सेना पुत्र दया शकर जाति कायस्थ नि0 मकान नं० बी–146 तलवडी कोटा
9–राज सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दीगोद जिला कोटा

(प्रतिवादीगण)

वादीगण की ओर से – श्री अनिल खण्डेलवाल एडवोकेट
प्रतिवादीगण की ओर से – श्री ओमप्रकाश स्वर्णकार एडवोकेट

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89 आर.टी.एक्ट बाबत घोषणा खातेदारी इन्द्राज दुरूस्ती

–:: निर्णय ::–

वादीगण ने उपरोक्त शीर्षक का वाद पत्र निम्न रूपेण पेश किया है :–

1– यह कि ग्राम दीगोद तहसील दीगोद मे खसरा नम्बर 804 की 2–62 हेक्टर भूमि गोकुलराम आत्मज प्रभुसिंह के नाम गेरखातेदारी में दर्ज चली आ रही है।

2–यह कि उपरोक्त भूमि के पुराने खसरा नम्बर 929 की 16 बीघा 3 बिस्वा था जो गोकुलराम जी को दिनाक 11–11–86 को आवंटन होकर उनके नाम गेरखातेदारी में दर्ज हुई। जिस पर गोकुलराम जी वहैसियत आवंटी काबिज काश्त चले आ रहे थे। गोकुलराम जी ने अपने जीवनकाल में उक्त भूमि की वसीयत वादी के दादा दयाशंकर आत्मज शिव शंकर जी के नाम दिनांक 21–4–1989 को आलेखित कर अपने व गवाहान के हस्ताक्षर कर नोटरी से प्रमाणित करना दिया था।

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

3 यह कि गोकुलराम जी का निधन दिनांक 18–10–89 को एमबीएस अस्पताल कोटा मे हो गया और उक्त वसीयत के अनुसार वादी के दादा दयाशकर जी उक्त भूमि के मालिक हुये व उक्त भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे थे।

4 यह कि वादी के दादा जी दयाशकर जी ने अपने जीवन काल मे उक्त भूमि के साथ साथ अन्य भूमि व मकान की वसीयत वादी के पक्ष मे दिनांक 26–7–1993 को आलेखित कर अपने व गवाहान के हस्ताक्षर करवा कर उपपजीयक अन्ता जिला बारा के यहा पजीयन करवा दिया।

5 यह कि वादी के दादा जी दयाशकर जी अपने जीवनकाल तक उक्त भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे थे उनका देहावसान दिनाक 19–3–2021 को कोटा पर हो गया ओर उनकी मृत्यु के बाद से वादी उक्त भूमि पर काबिज काश्त चला आ रहा है और उक्त वसीयत के अनुसार उक्त भूमि का वादी खातेदार घोषित होने का अधिकारी है।

6– यह कि वादी ने प्रतिवादी न0 9 के कर्मचारियो को उक्त भूमि वादी के खाते दर्ज करने हेतु दिनाक 17–2–2025 को कहा तो उन्होने मना कर दिया। यदि उक्त भूमि को वादी के खाते दर्ज नही की गयी तो वादी को अपार क्षति होगी तथा वादी हमेशा के लिये भूमि से वंचित हो जावेगा व दावा पेश करना ही बेकार हो जावेगा। यह कि इस कारण उपरोक्त परिस्थितियो मे वादी के लिये माननीय न्यायालय मे खातेदारी घोषणा इन्द्राज दुरुस्ती का वाद प्रतिवादीगण के खिलाफ पेश करना आवश्यक हो गया है।

7– यह कि वाद कारण प्रतिवादी न 9 के कर्मचारियों द्वारा उक्त वसीयतो के आधार पर उक्त भूमि बादी के खाते दर्ज करने से दिनांक 17–2–2025 को इन्कार करने पर पैदा हुआ।

अतः वाद पेश कर प्रार्थना है कि वादी के पक्ष मे प्रतिवादीगण के खिलाफ निम्न आशय की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे

1. कि ग्राम दीगोद तहसील दीगोद की खसरा नम्बर 804 की 2–62 हेक्टर भूमि वादी की गेरखातेदारी / खातेदारी में दर्ज किया जाकर वादी को खातेदार घोषित किया जावे।

2. कि प्रतिवादी नं0 9 को आदेश दिया जावे कि वे उपरोक्त प्रकार से राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट भिजवावे।

वादी की ओर से निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये जो संलग्न हैः–

1– नकल जमाबन्दी सत्यापित प्रतिलिपि ग्राम दीगोद संवत 71–74 खाता नया 789
2– वसीयतनामा असल
3– फोटो प्रतिलिपि वसीयतनामा
4– फोटो प्रतिलिपि मत्युप्रमाण पत्र गोकुलराम
5– फोटो प्रतिलिपि मत्युप्रमांण पत्र दयाशंकर
6– नकल मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2043 से 2062

[illegible]
[illegible] कोटा (राज.)

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी विधिवत करवायी गई। प्रतिवादीगण की ओर से श्री ओमप्रकाश स्वर्णकार एडवोकेट एडवोकेट द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत कर इकबालिया जवाब दावा प्रस्तुत किया जो शामिल मिसल किया गया। प्रकरण में जवाब सरकार प्राप्त हुआ जो शामिल मिसल किया गया। पत्रावली में इकबालिया जवाब दावा दिये जाने से तनकीयात कायम नहीं की गई व पत्रावली को साक्ष्य में नियत किया गया। वादी अधिवक्ता की ओर से साक्ष्य **pw1** में स्वयं वादी नरेश सक्सेना का शपथ पत्र **pw2** में देवेश मालव आत्मज स्व0 प्रभूलाल धाकड निवासी बल्लभबाडी गुमानपुरा कोटा का **pw3** में रामरतन आत्मज किशनलाल मीणा निवासी ग्राम फतेहपुर तहसील दीगोद जिला कोटा का शपथ पत्र तथा **pw4** में दोलतराम आत्मज केसरीलाल मीणा निवासी ग्राम फतेहपुर तहसील दीगोद जिला कोटा का शपथ पत्र पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। तत्पश्चात पत्रावली को बहस पर नियत किया गया। दौरान बहस वादी अधिवक्ता ने दावा व प्रतिवादी अधिवक्ता ने जवाब दावा के बिन्दुओं का दोहराया गया।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के आधोपान्त अवलोकन, अध्ययन व बहस कथनों के मनन उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि वादी का वाद स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम दीगोद तहसील दीगोद की खसरा नम्बर 804 की 2–62 हेक्टर भूमि के राजस्व रिकार्ड में गोकुलराम के स्थान पर वादी नरेश सक्सेना का नाम गैरखातेदार के रूप में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार दीगोद को निर्देशित किया जाता है कि पारित निर्णय अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। तदनुसार डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 7/11/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

मूल वाद में डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद जिला कोटा (राज0)

पीठासीन अधिकारी—दीपक महावर (आर.ए.एस.)

उनवान

1—नरेश सक्सेना आत्मज कमल कुमार सक्सेना आयु 51 वर्ष जाति कायस्थ निवासी डडवाडा कोटा हाल निवास म० न० बी—339 तलवडी वादी कोटा जिला कोटा

(वादीगण)

बनाम

1—कमल कुमार पुत्र दया शंकर जाति कायस्थ नि0 म०न० बी—339 तलवंडी जिला कोटा
2—अजय सक्सेना पुत्र दया शंकर जाति कायस्थ
3—स्नेहलता पुत्री दया शंकर जाति कायस्थ
4—सरोज पुत्री दया शंकर जाति कायस्थ
5—सुषमा पुत्री दया शंकर जाति कायस्थ
6—नीना पुत्री दया शंकर जाति कायस्थ
7—हेमा पुत्री दया शंकर जाति कायस्थ
निवासीगण मकान नं0 1108 डडवाडा कोटा जकंशन जिला कोटा
8—अनिल सक्सेना पुत्र दया शकर जाति कायस्थ नि0 मकान नं० बी—146 तलवडी कोटा
9—राज सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दीगोद जिला कोटा

(प्रतिवादीगण)

वादीगण की ओर से — श्री अनिल खण्डेलवाल एडवोकेट
प्रतिवादीगण की ओर से — श्री ओमप्रकाश स्वर्णकार एडवोकेट

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89 आर.टी.एक्ट बाबत घोषणा खातेदारी इन्द्राज दुरुस्ती

मिसल नं 70/2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी वादी व मिनजानिब मुददई पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि — : वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम दीगोद तहसील दीगोद की खसरा नम्बर 804 की 2—62 हेक्टर भूमि के राजस्व रिकार्ड में गोकुलराम के स्थान पर वादी नरेश सक्सेना का नाम गैरखातेदार के रूप में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार दीगोद को निर्देशित किया जाता है कि पारित निर्णय अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। तदनुसार डिक्री जारी की जाती है।

मेरे दस्तख्त व मोहर से आज दिनांक को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रूपयै	पैसे	मुदालयह	रूप्ये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद, जिला कोटा (राज.)